



लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ०प्र०-226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या : / सम्बद्धता / 2019

दिनांक :

ई-मेल / रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट / व्यक्तिगत

कार्यालय-ज्ञाप

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्न महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित बी०एड० पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता 30 जून, 2019 को समाप्त होने जा रही है, के सम्बन्ध में सूचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उ०प्र० शासन द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने एवं 10 मई, तक बी०एड० पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता के निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि पूर्व से निर्धारित है, तदनुसार बाक्स में अंकित पत्र द्वारा 28.02.2019 तक आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
1.	एच०एल०वाई० डिग्री कालेज, उत्तरगांव, मोहनलालगंज, लखनऊ
2.	सत्यानन्द उच्च शिक्षा संस्थान, ग्राम नौवा, मेमौरा एयरवेस के सामने, सरोजनी नगर, लखनऊ
3.	स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कालेज, स्नेह नगर, आलमबाग, लखनऊ
4.	बासुदेव डिग्री कालेज, अमराई गाँव, इन्दिरा नगर, लखनऊ
5.	एम०सी० सक्सेना कालेज ऑफ एजुकेशन, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ।
6.	आई०टी०एम०कालेज ऑफ एजुकेशन, मामपुर बाना, बक्शी का तालाब
7.	अकबरी बेगम कालेज ऑफ एजुकेशन, गनेशपुर, रहमानपुर, लखनऊ
8.	सुरजन देवी अनुसुइया देवी डिग्री कालेज, गंगागंज, लखनऊ।
9.	सिटी वीमेन्स कालेज, जानकीपुरम विस्तार, अलीगंज, लखनऊ
11.	श्री कृष्ण दत्त एकेडमी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ
12.	सिटी कालेज, उत्तरधौना, तिवारीगंज, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ
13.	यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बाघामऊ, लखनऊ।
14.	गया प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस, फिरोजपुर, मलिहाबाद रेलवे स्टेशन, मलिहाबाद, लखनऊ।
15.	टी०डी०एल० कालेज ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट साइन्सेज, कासिमपुर बिरुआ, गोसाईगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ
16.	टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, फैजाबाद रोड, लखनऊ

उल्लेखनीय है कि सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.06.2017 द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं कि-“किसी भी महाविद्यालय को तीन वर्ष के अन्तर्गत स्थायी सहयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तीन वर्ष के निर्धारित अवधि के अन्दर स्थायी सहयुक्तता प्राप्त न करने पर एक वर्ष का समय अतिरिक्त दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत महाविद्यालय शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है एवं स्थायी सहयुक्तता नहीं प्राप्त कर पाता है तो प्रतिवर्ष एक लाख रु० अर्थदण्ड के साथ तीन वर्ष का समय और प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की सहयुक्तता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।”

अतः उपरोक्त बी०एड० महाविद्यालयों को बाक्स में अंकित पत्रानुक्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार - “आगामी शिक्षण सत्र 2019-20 से स्थायी सहयुक्तता (जिनके तीन वर्ष के परीक्षा परिणाम प्राप्त हो चुके हैं) हेतु स्थलीय निरीक्षण आख्या अथवा पूर्व प्रदत्त अस्थायी सहयुक्तता को 2019-20 के लिए विस्तार प्रदान किये जाने हेतु समस्त कमियों के निस्तारणोपरान्त सुसंगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में 31.03.2019 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बी०एड० पाठ्यक्रम में सत्र 2019-20 से बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबन्धित समझा जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।”

(एस०के० शुक्ल)
कुलसचिव

संख्या : R/225-28

दिनांक : 07/03/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल०वि०।
3. ✓ इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त सहयुक्त बी०एड० महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक, समस्त बी०एड० सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

(Signature)
(एस०के० शुक्ल)
कुलसचिव